अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 405/2012

जिला उल हक — अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलाथी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 10.08.12 ई० अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 48/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि मौजाः लालपुर गोठ के खाता नं० 96, खेसरा नं०. 33 रकवाः 58 डी० वो खेसरा नं० 34 रकवाः 1.03 डी० कुल रकवाः 1.61 डी० जमीन खतियानी रैयत शेख हसन के नाम बिहार सरकार के सिरिस्ते में जमाबंदी संख्याः 78 के नाम से चलती है खतियानी जमाबंदी रैयत को तीन पुत्र क्रमशः शेख महमद अली, शेख अफसर अली एवं शेख सौदागर को छोड़कर मर गये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि पिता के मरने के उपरांत तीनों भाई चकबंदी अनुमति वाद संख्याः 118/78 से प्राप्त कर निबंधित केवाला दस्तावेज संख्याः 1750/1978 द्वारा वादी की मॉ वीवी एमोना एवं मौसी वीवी जमीला के हाथ बिक्री कर दिया तथा खरीददार को दखल अधिकार दे दिया। जिसका जमाबंदी नं० 78 अपीलार्थी/वादी की मॉ वो मौसी के नाम अद्यतन लगान रसीद प्राप्त है। तद्नुसार चकबंदी खतियानी वर्षः 1982–83 अपीलार्थी/वादी की मॉ एवं मौसी के नाम दर्ज एवं प्राप्त है। जिसका चक खाता 68 चक खेसरा 130 बनना बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि भू हदबंदी वाद संख्याः 129/73–74 के द्वारा प्रपत्र "ग" मौजा लालपुर गोठ खाता संख्याः 101, खेसरा संख्याः 34 रकवाः 1.84 वो 0–84 डी० कुल 2.68 डी० भूमि अयोध्या प्रसाद गुप्ता के नाम अधिशेष घोषित किया गया है। जबकि खेसरा नं० 34, खाता नं० 96 की है जिसका रकवाः मात्र 1.03 डी० है वो खाता नं० 101, खेसरा नं० 34 रकवाः 2.68 डी० मौजा लालपुर गोठ, थाना

नं०: 209 में नहीं होना बतलाते है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में इस न्यायालय में मूल केवाला दस्तावेज संख्या 1750 दिनांक 22.02.1978 द्वारा शेख महम्मद अली वगैरह बहक/पख में बीबी एमोना वो बीबी जमीला रकबा 1 एकड़ 61 डी0 खाता 96 पु०, नया 148 खेसरा पुराना 33 वो 34 नया 130 की छाया प्रति, मूल माल गुजारी रसीद ज० नं० 78 नाम से बीबी एमोना वो बीबी जमीला राजस्व वर्ष: 2012–2013 निश्वत 1 एकड़ 61 डी0 की छाया प्रति, नकल बजाप्ता सर्वे खतियान नाम से विक्रेता शेख महम्मद अली निश्वत खाता पुराना–96, नया 148 खेसरा पुराना–33 वो 34 नया–130 की छाया प्रति एवं जिला गजट तिथि 16.10.1981 अन्दर भू हदबन्दी वाद संख्या 129+48/73–74/407/73–74 एवं 91/94 की छाया प्रति दाखिल किया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी मो० कलरू अंचलआधिकारी, बसंतपुर को आवेदन पत्र दाखिल कर मौजा लालपुर गोठ के खाता 161 खेसरा 34 रकवा 01.03 डी० जमीन भूहदबन्दी बन्दोबस्ती से प्राप्त है पर दखल अधिकार बताकर नापी करवाने का अनुरोध किया गया तो अंचल अधिकारी ज्ञापांक 863–2 दिनांक 12.11.11 द्वारा नोटिश निर्गत कर आपत्ति की मांग किया गया तो दिनांक 17.11.11 को विरोध पत्र दाखिल किया गया किन्तु सुनवाई नहीं होने पर सिविल रिट पेटीशन न०. 5256/12 दाखिल किया जिसका सुनवाई दिनांक 12.03.12 को निदेश के साथ पेटीशन को निस्तार कर दिया गया ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी /वादी द्वारा अंचल अधिकारी के नापी आदेश को स्थगित करते हुए रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के अवैध जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया गया । अपीलार्थी/वादी द्वारा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम के अनुसार सत्यापित होना आवश्यक बतलाया गया वो यह भी कथन किया गया कि बोगस जमाबंदी को अवैध घोषित करने का कोई भी प्रावधान उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी को नहीं दिया गया है जमाबंदी सृजन या रद्द करने का अधिकार अपर समाहर्त्ता को है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी को वजरिये अंतिम परवाना बिहार भूमि सुधार अधिनियम निराकरण तथा अधिशेश भूमि अर्जन अधिनियम 1961 की धारा 27के अन्तर्गत अधिशेष जमीन की बन्दोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, बीरपुर द्वारा दिया गया है। रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी को निर्गत परवाना के आधार पर जमाबंदी कायम करवाकर जमीन पर दखलकार होना बतलाते है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित किया गया है कि विवादित जमीन पर पूर्व से विधि कार्रवाई करते हुए भूहदबन्दी अधिनियम के तहत लाभार्थियों को बन्दोबस्ती परवाना निर्गत किया गया । उक्त भू हदबन्दी परवाना के खिलाफ वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील दायर नहीं किया गया है। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत पूर्व से निस्पादित भू हदबन्दी अधिनियम के तहत पारित आदेश की पुनः विवेचना करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त नहीं है और ना ही इस अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से दर्ज जमाबंदी को अवैध घोषित करने का अधिकार है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सूक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया गया है एवं इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखाप्ति एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा